संख्या यू-16011/1/2020-पीएंडसी

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक: 25 जुलाई, 2024

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा 1 और 2 तथा धारा 19 की उप-धारा 1 के अनुसरण में और इस संबंध में जारी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषय के संबंध में सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है:

ाष प्र	प्रथम
	अपीलीय
1	प्राधिकारी
34390 श्री भ	
खेड़ा	
- 1	गाप्रसे,
अपर	ग्पर सचिव
31120	
1233	
6210	
6210	

	सचिव				
5.	डॉ. एन. नटराजन	एनआईसी	natarajan@nic.in	23381689	
6.	सुश्री. स्वरूपा सरन, उप सचिव	लोक शिकायत	swwarupa.saraan@nic.in	23381767	एस. नेगी, वरीष्ठ आर्थिक सलाहकार
7.	कुमार	उपभोक्ता संरक्षण एकक, कॉन्फोनेट, ई-दाखिल, प्रचार सहित	mishra.sunil@nic.in	23389936	श्री. अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव
8.	सुश्री. स्वरूपा सरन, उप सचिव	उपभोक्ता कल्याण कोष	swwarupa.saraan@nic.in	23381767	
9.	डॉ. एबीएस शालिनी, निदेशक	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	abs.shalini@gov.in	23381120	
10.	श्री. आशुतोष अग्रवाल, निदेशक	विधिक मापविज्ञान	ashutosh.agarwal13@nic.in	23389489	
11.	चंद्र मीणा,	मूल्य निगरानी प्रभाग, ईसीआरएंडई	subhash.meena@nic.in		श्री. कामखेनथाँ ग गुइटे, आर्थिक सलाहकार
12.	श्री. टी. आर. सतीश चंद्रन, संयुक्त निदेशक	लागत	schandran.73@nic.in	23384390	

13.	श्री. अमन	आरटीआई,		23389327	
	जैन,	सहकारिता प्रभाग			
	निदेशक	और राजभाषा			
		सहित संसद एवं	amanjain.ofb@nic.in		
		समन्वय, ओएंडएम			
		ओर ई-गवर्नेंस			
14.	श्री. रमेश	सामान्य प्रशासन		23071149	
	सिंह, उप		singh.ramesh64@nic.in		
	सचिव				
15.	श्री. के. चंद्र	आईएफडी और		23382503	सुश्री. जेनी
	सिंघा,	बजट	kc.singha@gov.in		किलौंग,
	निदेशक				सीसीए
	श्री. बाल			23388778	सुश्री. जेनी
116.		रोकड़	bk.thakur75@gov.in		किलौंग,
	कृष्ण ठाकुर				सीसीए

- 2. सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी की अनुपस्थित में, उस विषय को संभालने वाले संबंधित अनुभाग अधिकारी/अनुभाग/डेस्क प्रभारी/सहायक निदेशक, आरटीआई से संबंधित मामलों को, निपटान के लिए सीधे संबंधित लिंक अधिकारी को भेजेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका निपटान वैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा पर हो और तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। सभी सीपीआईओ और एफएफए इस आदेश के प्राप्त होने पर लंबित आरटीआई आवेदनों/अपीलों का तुरंत निपटान करेंगे।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अमन जैन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष: 23389327

ईमेल: amanjain.ofb@nic.in

सेवा में

उपर्युक्त सूची के अनुसार सभी सी.पी.आई.ओ. एवं अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव(उपभोक्ता मामले) के प्रधान स्टाफ अधीकारी/अपर सचिव(उपभोक्ता मामले) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/

- संयुक्त सचिव(एएम) के प्रधान निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/सलाहकार(लागत) के प्रधान निजी सचिव/सीसीए के निजी सचिव।
- 2. उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अधि कारी/अनुभाग > ई-ऑफिस केएमएस
- 3. निदेशक (आईआर), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 4. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली।
- 5. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) [सुविधा काउन्टर पर लगे <u>डिसप्ले बोर</u>्ड में आवश्यक संशोधन करने के अनुरोध सहित]
- 6. निदेशक, एन.आई.सी., कमरा नं0 546 बी, कृषि भवन को इस आदेश को इस विभाग की वेबसाइट पर जल्द से जल्द अपलोड करने हेतु।
- 7. सहायक निदेशक (राजभाषा) को सूची के हिन्दी अनुवाद (<u>uspc-ca@nic.in</u>) हेतु।
- 8. फोल्डर और गार्ड फाइल में रखने हेतु अतिरिक्त प्रतियां।